छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय हेतु मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक **2087** नवा रायपुर दिनांक 28.11.2020

//निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 1180/–जीएसटी सहित(वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 1,00,000/–(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.12.2020 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.12.2020 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.12.2020 समय 4:00 बजे सायं तक

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, (छ.ग.) फोन नं. 0771–2512536

Web :- http://samvad.cg.nic.in/, Email :- cgsamvadadvt@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

फोन– 0771–2512536

निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद हेतु मानव संसाधन, विद्युत प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेंटनेंस एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु अनुभवी फर्मों से एवं हाउकीपिंग (साफ–सफाई) कार्य हेतु स्व–सहायता समुहों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

क्र.	निविदा	निविदा क्रमांक एवं दिनांक	निविदा प्रपत्र शुल्क, GST सहित (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि (दोपहर 2:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि (दोपहर 3:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि (सायं 4:00बजे)
1	मानव संसाधन की सेवा हेतु	2087 28.11.2020	1,180/–	1,00,000/–	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
2	विद्युत प्लम्बिंग मेंटनेंस कार्य एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु	2088 28.11.2020	590/–	50,000/–	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
3	हाउसकीपिंग (साफ–सफाई) कार्य	2089 28.11.2020	590/–	50,000/–	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

उपरोक्त निर्धारित तिथि को अपरान्ह् 3:00 बजे तक निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में **छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक FF-12** में जमा किया जा सकता है। अपरान्ह् 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in/** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर फोन नं. 0771–2512536

<u>मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें</u>

1. छत्तीसगढ़ संवाद का गठन फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राज्य शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जनहित में प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ संवाद के दैनिक कार्यों के संपादन हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता है। मानव संसाधन की सेवाएं पंजीकृत एवं अनुभवी प्लेसमेन्ट एजेंसी के माध्यम से लिया जाना है। मानव संसाधनों एवं छत्तीसगढ़ संवाद के मध्य किसी भी प्रकार नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध नहीं रहेगा व उन्हें छत्तीसगढ़ संवाद पर किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

2. निविदाकारों को निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1180/–(वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) **'छत्तीसगढ़ संवाद'** के नाम से रायपुर में देय, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि (Earnest Money) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम–शर्तों व अन्य किसी प्रकार का संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबासइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

3. सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जाएगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त वापस कर दी जाएगी। निविदा के न्यूनतम दर पर टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए स्थानीय महिला स्व–सहायता समुह को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :–**

1. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. वित्तीय वर्ष 2019–20 में मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी वार्षिक टर्नओवर कम से कम <u>**रू. 25 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्र में मानव संसाधन सेवा (Placement Service) के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है**</u>।
3. वैधानिक पंजीयन जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC), लेबर एक्ट, जीएसटी आदि के अन्तर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण–पत्रों, पेन कार्ड की प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
4. वित्तीय वर्ष 2018–19 (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) के लिए जमा आयकर रिटर्न की प्रति। वित्तीय वर्ष 2019–20 की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) भुगतान की ईसीआर चालान की प्रतियां। वित्तीय वर्ष 2019–20 की जमा GST R-1 एवं GST R-3B रिटर्न की प्रतियां।

5. निविदा के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन के विभिन्न कार्य के अनुसार कर्मियों के वर्ग के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा उनको प्रतिमाह शुद्ध देय एकमुश्त मासिक राशि का विवरण, **अनुसूची–1** में दिया गया है। प्लेसमेंट एजेन्सी को छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा सूचना दिए जाने पर उक्त अनुसूची में वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले कुशल मानव संसाधन की सेवा सूचना प्राप्ति के 48 घण्टे के भीतर उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारियों की संख्या में कमी या बढोत्तरी छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी। प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कर्मी प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा नियोजित होंगे तथा कर्मियों एंव छत्तीसगढ़ संवाद के मध्य सेवक–नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मी कार्य के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा यदि आवश्यक हो तो उसके बदले अन्य कुशल कर्मी भेजना होगा। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि के उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेन्सी की होगी।

6. निविदा की स्वीकृति का पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर सफल निविदाकार को रूपये 100/– मात्र के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प में अनुसूची–3 के प्रारूप में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि कार्यादेश से तीन वर्ष की होगी जिसे आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। प्लेसमेंट एजेन्सी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर 7 दिनों की सूचना देकर समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं जमा अमानत राशि जप्त की जाएगी तथा प्लेसमेंट एजेंसी को एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता है।

7. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को भुगतान :–

विभिन्न श्रेणी के मानव संसाधन को अनुसूची–1 अनुसार एकमुश्त शुद्ध देयक राशि का भुगतान प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा प्रतिमाह किया जावेगा –

(1) निर्धारित एक मुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जा सकेगी और न ही वसूल की जा सकेगी। परन्तु नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) की कटौती एवं अन्य संवैधानिक कटौती ही की जाएगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में प्रतिमाह नियमित रूप से जमा करना होगा।

(2) प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक एवं भृत्यों को वर्दी प्रदान करना होगा, जिसका छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

8. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय प्रस्ताव :–

प्लेसमेंट एजेन्सी को उपरोक्त अनुसूची–1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर, नियमों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में जमा की जाने वाली वैधानिक देय राशि का स्पष्ट उल्लेख दर–प्रपत्र में करना होगा। अनुसूची–1 में वर्णित राशि के प्रतिशत के रूप में अपने सुपरविजन, मैनेजमेंट एवं अन्य चार्जेस हेतु दरें देनी होगी। जिस निविदादाता का सुपरविजन एवं मैनेजमेंट चार्जेस, न्यूनतम होगा उसे कार्य आबंटन कर फर्म के साथ सेवा अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। न्यूनतम वित्तीय दर दो या दो से अधिक फर्मों की समान होने की स्थिति में टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने की अधिक अनुभवी फर्म से न्यूनतम दर पर सेवा ली जाएगी। अनुभव की गणना अनुसूची–1

अनुसार उपलब्ध कराए गए मानव संसाधन की सेवा पर विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्राप्त संतुष्टि प्रमाण–पत्र के आधार पर की जाएगी।

9. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सी को मान्य भुगतान :–

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सी को निम्नांकित राशि का भुगतान किया जावेगा–

1) नियोजित कर्मी को अनुसूची–1 अनुसार वर्णित राशि।
2) प्लेसमेंट एजेन्सी का सुपरविजन, मैनेजमेंट एवं अन्य चार्ज।
3) नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस की कटौती की जावेगी।
4) प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत जमा की गई राशि का प्रत्येक माह विवरण सहित पावती/चालान उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा अगला भुगतान रोका जा सकेगा, एवं जमा आमानत राशि जप्त की जा सकती है।
5) मानव संसाधन हेतु चयनित फर्म/महिला स्व–सहायता समुह को छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराए गए मानव संसाधनों के वेतन भुगतान की सुरक्षा के रूप में अनुबंध निष्पादन के पूर्व राशि रू. 05 लाख का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ संवाद में जमा करना होगा।

10.प्रस्ताव जमा करने की विधि – सीलबंद प्रस्ताव निर्धारित दर–प्रपत्र में ही दिये जाएंगे जिसके साथ निर्धारित अमान राशि (अर्नेस्ट मनी) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट (एफडीआर मान्य नहीं होगा) पृथक से लिफाफा में संलग्न करना अनिवार्य होगा, साथ ही अपेक्षित प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित प्रति भी दिया जाना आवश्यक होगा। प्रस्ताव जमा किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 21.12.2020 के अपरान्ह 3:00 बजे तक है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं टेक्निकल बिड के बंद लिफाफे में जमा दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। टेक्निकल बिड में अनुसूची–4 अनुसार दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है।

11.कार्य का प्रकार एवं विवरण –

(A) <u>कार्यालयीन कार्य –</u>

किसी भी कार्यालयीन कर्मी की छुट्टी एवं बीमारी की स्थिति में एजेन्सी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, उपलब्ध मानव संसाधनों को प्रतिवर्ष 18 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश प्रति माह अनुपातिक रूप में स्वीकृत की जाएगी। महिला मानव संसाधान को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित संवैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा।

(B) <u>अन्य शर्ते –</u>

1) प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि नियत समय में जमा करने का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।
2) प्लेसमेंट एजेन्सी श्रम कानूनों का पालन करने के लिये स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण–पत्र छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3) प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र छत्तीसगढ़ संवाद को उपलब्ध कराया जाना होगा। कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता पूर्ति करने की संपूर्ण जिम्मेदारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।
4) संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप मानव संसाधन, छत्तीसगढ़ संवाद की सहमति के उपरांत ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

5) कार्यालयीन समय में कोई भी कर्मचारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी की अनुमति के बिना कार्य में अनुपस्थित नहीं रहेगा।

6) कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ संवाद एक सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत उत्तर संतोषपद्र न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

7) कर्मचारी कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या छत्तीसगढ़ संवाद के अधिकारी के कहने पर प्लेसमेंट एजेन्सी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।

8) कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद, नवा रायपुर के आदेश से किया जा सकेगा।

9) शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से किया जायेगा।

10) फर्म अपनी दरें संलग्न निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–2 में ही प्रस्तुत करें।

11) मानव संसाधन सेवा हेतु एजेंसी का चयन टेक्निकल बिड में जमा दस्तावेजों के आधारपर योग्य फर्मों का फाइनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं फाइनेन्शियल बिड में प्राप्त न्यूनतम दर पर न्यूनतम दर वाले फर्म से सेवा ली जाएगी।

12) निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियम शर्तों को शिथिल करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

13) फर्मों को अब तक उनके द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्यवैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने एवं फर्मों का किसी भी समाचार पत्र या चैनल में वाद–विवाद की प्रचार–प्रसार न हो के संबंध में निर्धारित प्रारूप में रू. 50/– मात्र के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14) व्यवहार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।

15) किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

16) निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं——————————संस्था प्रमुख निवासी ————————————छग संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्यवैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है एवं किसी भी समाचार–पत्रों/चैनलों में विवादित मामलों का प्रचार–प्रसार न होने का साक्ष्य प्रस्तुत है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान ——————

दिनांक ——————

फर्म के मालिक/अधिकृत हस्ताक्षकर्ता
का हस्ताक्षर
पूरा नाम ....
संस्था का नाम ....
संस्था का सील–मोहर

मानव संसाधन कर्मियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा कर्मी को प्रतिमाह की दर से शुद्ध देय राशि

1. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद में नियोजित किये गये कर्मी को प्रतिमाह **EPF**, **ESIC** एवं अन्य वैधानिक कटौती कर भुगतान करना होगा –

क्र.	**मानव संसाधन पदनाम**	**शुद्ध मासिक देय राशि**
01	वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार	60,000 / – (साठ हजार रू. मात्र)
02	संपादकीय सलाहकार	52,000 / – (बावन हजार रू. मात्र)
03	ग्राफिक्स डिजाईनर	32,000 / – (बत्तीस हजार रू. मात्र)
04	कॉपीराइटर	31,200 / – (इकत्तीस हजार दो सौ रू. मात्र)
05	अनुवादक	25,000 / – (पच्चीस हजार रू. मात्र)
06	मीडिया एक्ज्युकेटिव	25,750 / – (पच्चीस हजार सात सौ पचास रू. मात्र)
07	मैनेजर (ऑडिटोरियम)	25,000 / – (पच्चीस हजार रू. मात्र)
08	डाटा एन्ट्री आपरेटर	16,945 / – (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
09	लिपिक सह कम्प्युटर आपरेटर	16,945 / – (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
10	डी.टी.पी. कम्प्यूटर आपरेटर	16,945 / – (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
11	मार्केटिंग एक्ज्युकेटिव	16,945 / – (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
12	मैनेजर (हाउसकीपिंग)	16,945 / – (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
13	इस्टेट सुपरवाइजर	16,945 / – (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
14	टेक्निशियन (नेटवर्किंग)	16,945 / – (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
15	वाहन चालक	13,075 / – (तेरह हजार पचहत्तर रू. मात्र)
16	भृत्य	10,765 / – (दस हजार सात सौ पैंसठ रू. मात्र)

2. मानव संसाधन की न्यूनतम अर्हता निम्नांकित होगी :–

(1) **वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार :– एकमुश्त देय मासिक राशि रूपये 60,000 / – मात्र।**
योग्यता / अनुभव :– किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नाकोत्तर की उपाधि एवं स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार–पत्र / चैनलों में संपादकीय कार्य का कम से कम 20 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो।

(2) **संपादकीय सलाहकार :– एकमुश्त देय मासिक राशि रूपये 52,000 / – मात्र।**
योग्यता / अनुभव :– किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नाकोत्तर की उपाधि एवं स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार–पत्र / चैनलों में संपादकीय कार्य का कम से कम 15 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो।

(3) **ग्राफिक्स डिजाईनर :– एकमुश्त देय मासिक राशि रूपये 32,000 / – मात्र।**
योग्यता / अनुभव :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से ललित कला / कम्प्यूटर पर ग्राफिक्स डिजाईनिंग में उपाधि / डिप्लोमा, कम्प्यूटर ग्राफिक्स एवं आर्ट डिजाईनिंग में किसी शासकीय / अर्ध्दशासकीय / प्रतिष्ठित संस्था में 5 वर्ष का अनुभव हो। कोरल ड्रा / फोटोशॉप में कार्य करने में दक्ष।

(4) **कापीराइटर :– एकमुश्त देय मासिक राशि रूपये 31,200 / – मात्र।**
योग्यता / अनुभव :– हिन्दी / अंग्रेजी में स्नाकोत्तर , कम्प्यूटर संचालन, शासकीय, अर्द्धशासकीय या प्रतिष्ठित संस्था में पद से संबंधित कार्यों का कम से कम 7 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो।

(5) **अनुवादक :– एकमुश्त देय मासिक राशि रूपये 25,000/– मात्र।**
योग्यता/अनुभव :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी में उच्च श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री एवं अनुवाद में डिप्लोमा तथा शासकीय/ अर्ध्दशासकीय /प्रतिष्ठित संस्था में 3 वर्ष का हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का अनुभव।

(6) **मीडिया एक्ज्युकेटिव :– एकमुश्त देय मासिक राशि रूपये 25,750/–**
योग्यता/अनुभव :– स्नातकोत्तर, कम्प्यूटर संचालन, डिजाइनिंग, विज्ञापन देयक तैयार करना वसूली का अनुभव एवं कम से कम 5 वर्ष तक मीडिया एज्युकेटिव के पद में कार्य करने का अनुभव हो।

(7) **मैनेजर (ऑडिटोरियम) :– एकमुश्त देय मासिक राशि रूपये 25,000/– मात्र।**
योग्यता/अनुभव :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ऑडिटोरियम (आपरेशन एवं मेंटनेंश), सी.सी.टी.वी., नेटवर्किंग, इलेक्ट्रीकल कार्यों का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।

(8) **डाटा एन्ट्री आपरेटर :– एकमुश्त देय मासिक राशि रू. 16,945/–**
योग्यता/अनुभव :– स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से डी.सी.ए./पी.जी.डी. सी.ए. एवं शासकीय, अर्धशासकीय या प्रतिष्ठित संस्था में कम से कम 3 वर्षो का अनुभव, डाटा एन्ट्री आपरेटर में कम से कम पांच हजार डिप्रेशन प्रति घण्टा।

या

स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. एवं हिन्दी या अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान, शासकीय, अर्ध्दशासकीय या प्रतिष्ठित संस्था में कम से कम 3 वर्षो का कार्य अनुभव, डाटा एन्ट्री में कम से कम पांच हजार डिप्रेशन प्रति घण्टा। टैली पैकेज में लेखा कार्य का ज्ञान।

(9) **लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर :– एकमुश्त देय मासिक राशि रू. 16,945/–**
योग्यता/अनुभव :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक किसी शासकीय, अर्ध्दशासकीय या अन्य प्रतिष्ठित संस्था मे कार्यालयीन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष।

(10) **डी.टी.पी. कम्प्यूटर ऑपरेटर :– एकमुश्त देय मासिक राशि रू. 16,945/–**
योग्यता/अनुभव :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इससे अधिकृत संस्था से पीजीडीसीए /DTP डिप्लोमा शासकीय/ अर्ध्दशासकीय /प्रतिष्ठित संस्था में पेजमेकर, कोरेल, फोटोशॉप, एमएस आफिस, एवं पेज सेटिंग के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव। हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का ज्ञान।

(11) **मार्केटिंग एक्जीक्युटिव :– एकमुश्त देय मासिक राशि रू. 16,945/–**
योग्यता/अनुभव :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, शासकीय, अर्ध्दशासकीय या अन्य प्रतिष्ठित संस्था में मार्केटिंग/लंबित देयकों की वसूली संबंधी कार्य का 3 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष।

(12) **मैनेजर (हाउसकीपिंग) :– एकमुश्त देय मासिक राशि रू. 16,945/–**
योग्यता/अनुभव :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किसी शासकीय, अर्ध्दशासकीय या अन्य प्रतिष्ठित संस्था मे कार्यालयीन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष।

(13) **इस्टेट सुपरवाइजर :–एकमुश्त देय मासिक राशि रू. 16,945/–**
योग्यता/अनुभव :–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय या अन्य प्रतिष्ठित संस्था मे कार्यालयीन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष।

(14) टेक्निशियन :– एकमुश्त देय मासिक राशि रूपये 16,445/–
योग्यता/अनुभव :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी.ए., शासकीय, अर्द्धशासकीय या अन्य प्रतिष्ठित संस्था मे सी.सी.टी.वी., नेटवर्किंग, बायोमेट्रीक मशीन संचालन कार्यों का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।

(15) **वाहन चालक :– एकमुश्त देय मासिक राशि रू. 13,075/–**
योग्यता/अनुभव :– आठवीं उत्तीर्ण , हल्का वाहन चालन का वैध लाइसेंस तथा वाहन चालक का कम से कम 3 वर्षो का अनुभव।

(16) **भृत्य :– एकमुश्त देय मासिक राशि रू. 10,765/–**
योग्यता/अनुभव :– आठवीं उत्तीर्ण,।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

अनुसूची–2

छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय के कार्यालयीन कार्यों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के लिए निविदा–दर प्रपत्र

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ संवाद,
नवा रायपुर (छ.ग.)

1. हमें निविदा की सभी शर्ते स्वीकार है। हमें शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का 3 वर्ष से अधिक का अनुभव हैं, जिसके संबंध में प्रमाण–पत्र संलग्न कर रहें हैं। हम इस निविदा के अंतर्गत निम्नांकित पदनाम के मानव संसाधन कर्मी के समक्ष दर्शायी गई एकमुश्त मासिक देय राशि की दर से बिना किसी कटौती किये (वैधानिक कटौती को छोड़कर) भुगतान करने का वचन देते हैं–

क्र.	मानव संसाधन पदनाम	शुद्ध मासिक देय राशि
01	वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार	60,000/– (साठ हजार रू. मात्र)
02	संपादकीय सलाहकार	52,000/– (बावन हजार रू. मात्र)
03	ग्राफिक्स डिजाईनर	32,000/– (बत्तीस हजार रू. मात्र)
04	कॉपीराइटर	31,200/– (इकत्तीस हजार दो सौ रू. मात्र)
05	अनुवादक	25,000/– (पच्चीस हजार रू. मात्र)
06	मीडिया एक्ज्युकेटिव	25,750/– (पच्चीस हजार सात सौ पचास रू. मात्र)
07	मैनेजर (ऑडिटोरियम)	25,000/– (पच्चीस हजार रू. मात्र)
08	डाटा एन्ट्री आपरेटर	16,945/– (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
09	लिपिक सह कम्प्युटर आपरेटर	16,945/– (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
10	डी.टी.पी. कम्प्यूटर आपरेटर	16,945/– (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
11	मार्केटिंग एक्ज्युकेटिव	16,945/– (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
12	मैनेजर (हाउसकीपिंग)	16,945/– (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
13	इस्टेट सुपरवाइजर	16,945/– (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
14	टेक्निशियन (नेटवर्किंग)	16,945/– (सोलह हजार नौ सौ पैंतालीस रू. मात्र)
15	वाहन चालक	13,075/– (तेरह हजार पचहत्तर रू. मात्र)
16	भृत्य	10,765/– (दस हजार सात सौ पैंसठ रू. मात्र)

2. उपरोक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त देय कुल राशि पर हमारा सुपरविजन एण्ड मैनेजमेन्ट चार्जेस ....%(शब्दों में.. प्रतिशत) मासिक होगा जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा हमें उपरोक्त के अतिरिक्त किया जावेगा।
3. उपरोक्त कण्डिका 1 एवं 2 के अतिरिक्त निम्नांकित राशि का भुगतान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा किया जावेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा मासिक आधार पर देयक के साथ हमें की जावेगी।

क्र.	मद	वैधानिक पंजीयन क्र.	प्रतिशत
01	इम्प्लायर प्रोविडेन्ट फण्ड		
02	ई.एस.आई.		
03	जीएसटी		
04	अन्य		

4. निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जा सकेगी या न ही वसूल की जा सकेगी। परन्तु नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती एवं अन्य संवैधानिक कटौती ही की जाएगी तथा शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मी के बैंक खातों में करना होगा।
5. हमारे द्वारा वैधानिक देय राशियों का भुगतान नियत समय के भीतर की जाएगी एवं प्रत्येक माह देय जमा राशि का विवरण, चालान/पावती छत्तीसगढ़ संवाद में जमा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त संदाय संबंधी जो भी जानकारी व दस्तावेज आपके द्वारा मांगे जायेंगे, तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासन द्वारा निर्धारित देय जीएसटी एवं ईपीएफ, ईएसआईसी की नियोक्ता के अंशदान राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा की जाएगी।
7. अनुभव के संबंध में तथा उपरोक्त लिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न।

संलग्नः–

(1)
(2)
(3)
(4)
(5) .
(6)
(7)
(8)

(हस्ताक्षर)
नामः–
पदनामः–
मोबाईल नं.–
दूरभाष नं.–
(संस्था की सील)

मानव संसाधन उपलब्ध कराने बाबत सेवा अनुबंध

छत्तीसगढ़ संवाद, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ (पक्ष क्रमांक 01) एवं मेसर्स .... (पक्ष क्रमांक 02) द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय की आवश्यकता अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु दिनांक– / /2020 से दिनांक– / /2023 तक के लिए दोनों पक्षों की सहमति से निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुबंध किया जाता है :–

1. यह कि छत्तीसगढ़ संवाद (पक्ष क्र.01) के दैनिक कार्यों के संपादन हेतु आवश्यकता अनुसार मेसर्स ....(पक्ष क्रमांक 02) द्वारा निविदा क्रमांक .... दिनांक .... के अनुसूची–01 में निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव प्राप्त मानव संसाधन छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित मासिक दर पर पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. यह कि समय–समय पर आवश्यकता अनुसार पक्ष क्रमांक 02 को पक्ष क्रमांक 01 की सूचना पर अनुसूची–01 में वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराना होगा। मानव संसाधन की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित होगा।
3. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा पक्ष क्रमांक 01 कयह कि पक्ष क्रमांक 02 को कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, श्रम नियम, जीएसटी अधिनियम एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा एवं प्रतिमाह देय राशि नियत समय में जमा कर साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराना होगा। भुगतान की पावती उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी माह के देयक का भुगतान पक्ष क्रमांक 01 द्वारा किया जाएगा।
4. ो उपलब्ध कराए गए सभी मानव संसाधन पक्ष क्रमांक 02 द्वारा नियोजित होंगे तथा उपलब्ध कराए गए मानव संसाधन एवं छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम सेवक–नियोजक का संबंध नहीं रहेगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराए गए कोई मानव संसाधन/कर्मी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उस कर्मी को तत्काल वापस लेना होगा तथा पक्ष क्रमांक 01 की आवश्यकता हो तो उसके बदले अन्य मानव संसाधन/कर्मी उपलब्ध कराना होगा।
6. यह कि मानव संसाधन/कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मेडिकल फिटनेश, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन का उत्तरदायित्व पक्ष क्रमांक 02 का होगा।
7. यह कि सेवा अनुबंध की अवधि दिनांक .... से दिनांक ....तक तीन वर्ष की होगी। पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषप्रद होने पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से सेवा अनुबंध अवधि बढ़ाया जा सकेगा। सेवा अवधि में वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
8. यह कि पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर सात दिनों की सूचना देकर समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 को होगा।

9. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा विभिन्न श्रेणी के मानव संसाधन हेतु निर्धारित एकमुश्त राशि में से नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती पश्चात शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में की जाएगी। उक्त संवैधानिक कटौती के अलावा कर्मचारियों से किसी प्रकार की सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जाएगी और न ही वसूल की जा सकेगी।
10. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन चालक एवं भृत्यों को वर्दी प्रदान करना होगा। जिसक व्यय पक्ष क्रमांक 02 को ही वहन करना होगा।
11. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, श्रम नियम, जीएसटी अधिनियम एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा एवं प्रतिमाह देय राशि नियत समय में जमा कर साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराना होगा। भुगतान की पावती उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी माह के देयक का भुगतान पक्ष क्रमांक 01 द्वारा किया जाएगा।
12. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उपलब्ध कराए गए मानव संसाधनों को प्रतिवर्ष 18 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश प्रतिमाह के अनुपातिक रूप से स्वीकृत की जाएगी। महिला कर्मियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित संवैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा।
13. यह कि व्यवहार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
14. यह कि किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

1. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 1,180/– का **छत्तीसगढ़ संवाद** के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र............................ दिनांक .... रू. 1,180/–

2. अमानत राशि रू. 1,00,000/– का **छत्तीसगढ़ संवाद** के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र........................... दिनांक .... रू. 1,00,000/–

3. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी कार्य अनुभव के साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रतियां निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना है।

क्र.	**नियोक्ता (शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का नाम)**	**सेवा अवधि (दिनांक ....से..........तक कुल........वर्ष)**

4. वित्तीय वर्ष 2019–20 का चार्टेड एकाउंटेड से सत्यापित कम से कम रू. 25 लाख का वार्षिक टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र। टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र में मानव संसाधन सेवा (Placement Service) के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है।

5. एम्पलाईज प्रोविडेन्ट फण्ड पंजीयन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 की इसीआर चालान की प्रतियां।

6. ईएसआईसी पंजीयन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 की इसीआर चालान की प्रतियां।

7. लेबर एक्ट के तहत पंजीयन की प्रति।

8. लेबर लायसेंस की प्रति।

9. जीएसटी पंजीयन एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु जमा जीएसटी रिटर्न की प्रतियां।

10. पेन कार्ड की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) के जमा आयकर रिटर्न की प्रति।

11. निर्धारित प्रारूप में रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र की मूल प्रति।

12. उपरोक्त क्रम में ही दस्तावेजों को टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं वांछित दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है।